तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/2/21	पत्रा पेश हुई वकील वादी हाजिर। पत्रा वास्ते साक्ष्य पेश हुई वकील वादी ने वादी का व दो स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य पेश किये गये तथा Exhibit अंकित किये गये। प्रति० की ओर कोई उपस्थित नहीं है। जिरह निल की गई। पत्रा वास्ते बहस दिनांक 2/3/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
	दयाल ... महावीर प्रसाद
2/3/21	पत्रा पेश हुई वकील वादी हाजिर। बहस सुनी गयी। पत्रा वास्ते आदेश दिनांक 5.3.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
5/3/21	पत्रा पेश हुई वकील वादी हाजिर। वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों व तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल। पत्रा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती शीलावती मीणा (आर.ए.एस)

संख्या 295 / 2015

शिपालसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर

– वादी–

बनाम

1. हणमान पुत्र बालू
2. शिवचन्द पुत्र बालू
3. उगसिंह पुत्र बालू
4. गंगसिंह पुत्र बालू

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर

5. तहसीलदार सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित – वकील वादी – श्री बनवारीलाल बरवड़

वकील प्रतिवादीगण – ————————

निर्णय

दिनांक : 5/3/21

वकील वादी श्री बनवारीलाल बरवड़ द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2268 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि को वादी लगातार निरंतर व निर्बाध रूप से एकाकी रूप में काश्त करता चला आ रहा है तथा वहां अपने आवास निवास हेतु मकानात बनाकर घरेलू विधुत कनेक्शन लेकर आवास निवास कर रहा है। उक्त भूमि को वादी एवं उसके पुत्रों द्वारा धनराशि खर्च करके बंजर से उपजाउ बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने कभी भी इस गांव में रहकर के काश्त नहीं की है तथा ना ही इस प्रकार के व्यक्ति इस गांव में मोजूद है । उक्त भूमियां लगातार वादी एवं उसके पुत्रों द्वारा काश्त की जा रही है। जिसकी ताईद ग्राम पंचायत बेरी के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी होती है। भूमियों का लगान भी वादी के द्वारा ही अदा किया जाता है। इस प्रकार वादी लगातार एवं निरंतर निर्बाध रूप से काफी वर्षों से प्रकट रूप में काबिज काश्त होने के कारण

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

एडवर्स पजेशन के आधार पर धारा 63(4) आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी अधिकारी परिपक्व हो चुके हैं। इसलिये वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम हजफ किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन एवं रजिस्टर्ड तलबी के तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण गांव में नही रहने की रिर्पोट के साथ तामिल प्राप्त हुई। प्रकरण में जरिये अखबार भी प्रकरण में तामिल करवाई गई परन्तु प्रतिवादीगण हाजिर नहीं रहे जिसके कारण उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी प्रर्दश –1, पानी एवं बिजली के बिल प्रदर्श– 2 से प्रदर्श–17, दूर संचार विभाग का मांग पत्र प्रदर्श–18 एवं ग्राम पंचायत बेरी का दिनांक 17.6.2015 का प्रमाण पत्र प्रदर्श– 19 प्रस्तुत किया है। वादी ने स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है तथा विरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेद सिंह एवं महावीर प्रसाद पुत्र नन्दाराम की स्वतंत्र साक्ष्य शंपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

वकील वादी पक्ष को सुना गया । वकील वादी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा स्वीकार कर डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया । हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया । विवादित भूमि की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2069–72 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है । वादी द्वारा अपने वाद में ना तो यह अंकित किया गया है कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कैसे दर्ज हुई ना ही यह अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त कब से तथा किस आधार पर निरंतर चला आ रहा है। वादी ने ना ही अपने वाद के समर्थन में पुरानी गिरदावरी या अन्य राजस्व रिकार्ड से संबंधित कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर वादी का कब्जा काश्त साबित होता है। केवल मात्र बिजली पानी के बिलों के आधार पर एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

अतः वाद वादी उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रमाणित नहीं होने के कारण कृषि भूमि खसरा नम्बर 2268 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(शीलावती मीणा)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 5/3/21 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय) सीकर

पीठासीन अधिकारी– शीलावती मीणा (आर.ए.एस)

संख्या 295 / 2015

छिपालसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर

– वादी–

बनाम

1. हणमान पुत्र बालू
2. शिवचन्द पुत्र बालू
3. उमसिंह पुत्र बालू
4. गंगसिंह पुत्र बालू

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर

5. तहसीलदार सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्‌घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

वाद वादी प्रमाणित नहीं होने के कारण कृषि भूमि खसरा नम्बर 2263 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना– अपना वहन करेंगें।

(शीलावती मीणा)
सहायक कलक्टर(द्वितीय)सीकर
सहायक कलक्टर(द्वितीय)सीकर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	5.00 36.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	36.00
जोड	41.00	जोड	36.00

आज तारीख 5/3/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर(द्वितीय)सीकर
सहायक कलक्टर(द्वितीय)सीकर